



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

डीपीडीपी अधिनियम के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में हालिया संशोधन: क्या यह पारदर्शिता के लिए झटका है?

डीपीडीपी अधिनियम के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में हालिया संशोधन: क्या यह पारदर्शिता के लिए झटका है?

संदर्भ

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के माध्यम से आरटीआई अधिनियम 2005 में हाल ही में किए गए संशोधन, विशेष रूप से धारा 8(1)(j) में किए गए संशोधनों को अनावश्यक और अधिनियम के मूल उद्देश्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जा रहा है।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

- आरटीआई अधिनियम (2005) ने नागरिकों को सरकारी सूचना के वास्तविक मालिक के रूप में मान्यता दी और इसका उद्देश्य 'स्वराज' की अवधारणा को बहाल करना तथा शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना था।

आरटीआई अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ

- सूचना तक पहुँच का अधिकार:** भारत का कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना का अनुरोध कर सकता है, जो 30 दिनों के अंदर (या जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों में 48 घंटे) जवाब देने के लिए बाध्य है।
- प्रयोज्यता:** सरकार के सभी स्तरों पर, जिसमें सरकार द्वारा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन और संस्थान शामिल हैं।
- जन सूचना अधिकारी (PIO):** प्रत्येक सरकारी विभाग को RTI अनुरोधों को संभालने और सूचना प्रदान करने के लिए पीआईओ नियुक्त करना चाहिए।
- अपील तंत्र:** यदि कोई आवेदक प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और फिर केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग में अपील कर सकता है।
- दंड:** निर्धारित समय के भीतर सूचना प्रदान करने में विफल रहने वाले या गलत विवरण प्रदान करने वाले अधिकारियों पर ₹25,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग (SIC)

- ये आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं।

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC):

- सदस्य:** एक सीआईसी और अधिकतम 10 आईसी, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

राज्य सूचना आयोग (SIC):

- सदस्य:** एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (SCIC) और अधिकतम 10 SIC, जिन्हें संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है।

आरटीआई अधिनियम 2005 (धारा 8 और धारा 9) के तहत सूचना से इनकार

- धारा 8(1)(a): राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता
- धारा 8(1)(j): व्यक्तिगत डेटा और गोपनीयता
- धारा 8(1)(i): संसदीय विशेषाधिकार और कैबिनेट के कागजात
- धारा 8(1)(d): वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार रहस्य
- धारा 8(1)(h): चल रही जाँच और कानून प्रवर्तन

आरटीआई (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से प्रमुख परिवर्तन

- **सूचना आयुक्तों का कार्यकाल:** इसे घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है (पहले यह 5 वर्ष निर्धारित था)।
- **वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें:** केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित (पहले, मूल अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बराबर)।
- **आरटीआई अधिनियम (2022) के तहत नियम:** आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग को प्रोत्साहित किया गया।

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) को समझना

- **मूल प्रावधान:** आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(j) पहले व्यक्तिगत जानकारी को रोकने की अनुमति देती थी, अगर उसके प्रकाशन से निजता का अनुचित उल्लंघन होता था या उसका सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं था।
- **संशोधित प्रावधान:** धारा 8(1)(j) के तहत प्रावधान को डीपीडीपी अधिनियम, 2023 द्वारा सरल बना दिया गया है, जो सार्वजनिक हित संरक्षण को समाप्त करता है और घोषणा करता है कि व्यक्तिगत जानकारी प्रकटीकरण से बाहर है।

हालिया संशोधन में प्रमुख चिंताएँ

- **सार्वजनिक जाँच पर प्रभाव:** अधिकारी “व्यक्तिगत जानकारी” को व्यापक रूप से परिभाषित करके पहले से सुलभ सामग्री, जैसे कि सार्वजनिक अधिकारियों के जाति प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र के लिए आरटीआई अनुरोधों को अस्वीकार कर सकते हैं।
 - यह भ्रष्टाचार को उजागर करने और अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के प्रयासों में बाधा डाल सकता है।
- **गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच मौजूदा संतुलन:** सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए प्रकटीकरण की आवश्यकता के द्वारा, आरटीआई अधिनियम पहले से ही गोपनीयता और सूचना के अधिकारों को सुसंगत बनाता है।
 - संशोधन इस संतुलन को बाधित करता है, जिससे यह निरर्थक और अनुचित हो जाता है।
- **कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई गई चिंताएँ:** पारदर्शिता के समर्थकों का तर्क है कि यह परिवर्तन शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करने के लिए आवश्यक डेटा तक पहुँच को प्रतिबंधित कर सकता है।
 - आरटीआई अधिनियम को कमजोर करने की इसकी क्षमता के कारण, नागरिक समाज संगठनों ने इस खंड को हटाने की माँग की है।

संशोधन के निहितार्थ

- **पारदर्शिता पर प्रभाव:** विरोधियों का तर्क है कि इस बदलाव से सरकारी अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना और गलत कार्यों को उजागर करना अधिक कठिन हो सकता है।
 - जो जानकारी पहले आरटीआई अधिनियम के तहत उपलब्ध थी, जैसे कि सरकारी अधिकारियों की वित्तीय घोषणाएँ या शैक्षिक पृष्ठभूमि, अब दमित की जा सकती है।
- **गोपनीयता और सार्वजनिक हित में संतुलन:** अधिक सार्वजनिक हित की स्थितियों में प्रकटीकरण की अनुमति देकर, मूल खंड ने गोपनीयता और खुलेपन के बीच संतुलन हासिल किया।
 - इस एहतियात को समाप्त करने से जवाबदेही प्रणालियों के कमजोर होने की चिंताएँ बढ़ गई हैं।
- **सरकार का बचाव:** हालिया संशोधन सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी फैसले के अनुरूप है, जिसने गोपनीयता को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा।

- कई अधिकारियों का तर्क है कि संशोधन लोगों के गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करते हैं और आरटीआई अधिनियम के दुरुपयोग को रोकते हैं।

प्रतिक्रियाएँ और आलोचना

- **विपक्ष और नागरिक समाज:** विपक्षी नेताओं और पारदर्शिता के पक्षधरों ने संशोधन की आलोचना की है और इसे लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए एक कदम पीछे बताया है।
- सार्वजनिक अधिकारियों को जाँच से बचाने के लिए संशोधित प्रावधान के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएँ जताई गई हैं।
- **कानूनी और नीति विशेषज्ञ:** विशेषज्ञों ने एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है जो गोपनीयता और जनता के जानने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए।
- उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक हित सुरक्षा को फिर से लागू करने के सुझाव शामिल हैं।

निष्कर्ष

- डीपीडीपी अधिनियम के माध्यम से आरटीआई अधिनियम में संशोधन ने इसकी आवश्यकता और पारदर्शिता पर इसके प्रभाव के बारे में वैध चिंताएँ उठाई हैं।
- यद्यपि सरकार दुरुपयोग को रोकने और गोपनीयता कानूनों में सामंजस्य स्थापित करने के उपाय के रूप में परिवर्तनों का बचाव करती है, आलोचकों का तर्क है कि आरटीआई अधिनियम पहले से ही इस संतुलन को प्रभावी ढंग से प्राप्त करता है।
- आरटीआई अधिनियम की भावना को संरक्षित करने के लिए, संशोधन पर पुनर्विचार करना और उसे निरस्त करना अनिवार्य है।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: आप आरटीआई अधिनियम में हाल के संशोधनों के शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर पड़ने वाले प्रभावों को किस प्रकार देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि वे गोपनीयता और सार्वजनिक हित के बीच उचित संतुलन बनाते हैं?

